न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 90/2019 G.C.M.S. No. 2019/00398 दर्ज दिनांक: 18.11.2019

अपीलार्थिगण:

1. पेमाराम पुत्र श्री भैराजी, जाति जाट, निवासी माण्डीगढ़, तहसील देसूरी, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मूलाराम पुत्र श्री दौलाजी, उम्र बालिग, जाति जाट, निवासी जाटों का गुडा, तहसील देसूरी, जिला पाली।
2. हीराराम पुत्र श्री पुनारामजी, उम्र बालिग
3. मृत मेघाराम पुत्र श्री सुरताजी, जाति जाट, निवासी माण्डीगढ़, तहसील देसूरी, जिला पाली के विधिक वारिसान–

3/1 ऐजीदेवी बेवा मेघाराम, उम्र बालिग
3/2 जीवाराम पुत्र मेघाराम, उम्र बालिग
3/3 रताराम पुत्र मेघाराम, उम्र बालिग
सभी जातिगण जाट, निवासीगण माण्डीगढ़, तहसील देसूरी, जिला पाली
3/4 शांतिदेवी पुत्री मेघाराम पत्नि घीसाराम, उम्र बालिग, जाति जाट, निवासी जाटों का गुडा, तहसील देसूरी, जिला पाली।
3/5 चेनीदेवी पुत्री मेघाराम धर्मपत्नि मनाराम, जाति जाट, निवासी जाटों की डोरण सादड़ी, तहसील देसूरी, जिला पाली।

4. हीरा पुत्र श्री खुमाजी, उम्र बालिग
5. वगताराम पुत्र श्री भगा जी, उम्र बालिग
6. मोतीराम पुत्र श्री जेताजी, उम्र बालिग, जातिगण जाट, निवासी माण्डीगढ़, तहसील देसूरी, जिला पाली
7. सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग बाली, तहसील बाली, जिला पाली
8. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.10.2019 जो योग्य सहायक कलक्टर महोदय, देसूरी ने राजस्व विविध संख्या 45/2018 बअनवान प्रार्थी पेमाराम बनाम अप्रार्थीगण मूलाराम वगैरह में पारित किया।

उपस्थित–

1. श्री दौलत मकवाणा, श्री नौरतन चौहान, श्री भरत उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक:30.10.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर देसूरी के राजस्व विविध संख्या 45/2018 बअनवान पेमाराम बनाम मूलाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 31.10.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 188, 92ए, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत किया, जो कि राजस्व वाद संख्या 259/2015 बउनवान पेमाराम बनाम मूलाराम वगैरह दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 को जरिये सम्मन तलब

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

किया गया। उक्त वाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.05.2018 को राजस्व कैम्प कोर्ट माण्डीगढ़ में सुनवाई हेतु नियत किया गया। उक्त राजस्व कैम्प में वाद के संबंध में जारी किया गया सम्मन अपीलांट को तामील न करवाकर किसी एम.एम. जाट नामक अज्ञात व्यक्ति से तामील करवाकर बिना अपीलांट को विधिवत सूचना दिए अपीलांट की अनुपस्थिति होना दर्ज करते हुए दिनांक 28.05.2018 को दावा खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी होने के पश्चात अपीलांट द्वारा दावा पुनः नंबर पर लेने हेतु एक आवेदन–पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज करते हुए अपने आदेश दिनांक 31.10.2019 को पूर्व न्याय के सिद्धांतों के आधार पर खारिज कर दिया। जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 110/2015 व 259/2015 में कथित अभिवचनों अनुसार वाद, कारण व चाहे गये अनुतोष सर्वथा भिन्न–भिन्न है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उसके बावजूद पूर्व वाद में किए गए राजीनामें व उस पर आधारित निर्णय दिनांक 21.05.2015 के आधार पर लोक अदालत कैम्प कोर्ट में जैर अपील आदेश पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अपीलांट द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी द्वार राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 45/2018 अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2019 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की हैं।

2. पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2019 का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश में विवेचन करते हुए अंकित किया है कि "मूल पत्रावली राजस्व वाद 259/2015 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि पत्रावली दिनांक 14.05.2018 को जवाब में नियत थीं, परन्तु न्याय आपके द्वार अभियान शिविर माण्डीगढ़ में दिनांक 28.05.2018 को पेश हुई। इस संबंध में वादी व प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस दिनांक 01.05.2018 को भेजकर सूचित किया गया था। अतः नोटिस तामील प्राप्त होने के बावजूद वादी न्याय आपके द्वार शिविर माण्डीगढ़ में अनुपस्थित रहें तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 6 उपस्थित रहें। प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 146, 147, 148, 149, 150 व 151 रकबा 5.25 हैक्टेयर के संबंध में पूर्व में प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 188, 92ए राजस्व वाद संख्या 110/2010 प्रस्तुत किया था। जो शिविर माण्डीगढ़ 2015 में राजीनामा से निर्णीत हो चुका था। जिससे प्रतिवादी आज भी पाबंद है। अतः पूर्व में निर्णीत वाद संख्या 110/2010 परस्पर समझौता होने से राजस्व वाद संख्या 259/2015 खारिज किया था, जोकि मैरिट पर तय किया था, न कि एकतरफा खारिज किया था। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी के ध्यानपूर्वक अवलोकन

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज करना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

3. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सूचित एवं तामील के उपरांत निर्णय पारित किया था। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में समान आराजी व एकसमान अनुतोष से संबंधित पूर्ववर्ती वादपत्र संख्या 110/2010 राजीनामें से मैरिट के आधार पर निर्णीत हो चुका था तथा उससे उभयपक्ष पाबंद है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई त्रुटि या विधिक भूल कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। अतः हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट भली–भांति साबित नहीं होने से खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रेस्पोंडेंट्स भली–भांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.10.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner